रजिस्टर्ड नं० HP/11/SMC/2001.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 21 दिसम्बर, 2001/30 अग्रहायण, 1923

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 21 दिसम्बर, 2001

संख्या 1-81/2001-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001

(2001 का विधेयक संख्यांक 23) जो आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2001 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

अजय भण्डारी,
सचिव ।

2001 का विधेयक संख्यांक 23.

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001

(विधान सभा में पुर:स्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2001 है।

(2) यह 14 दिसम्बर, 2001 को प्रवृत्त होगा और प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 6 का संशोधन।

(1994 का 12)

2. हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 6 के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) के परन्तुक में, "3500" अंकों के स्थान पर "3000" अंक रखे जाएंगे ।

2001 के अध्यादेश संख्या 1 का निरसन और व्यावृत्तियां।

3. (1) हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (2001 का 1) का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 6 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार, वार्डों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या 3500 से कम नहीं होगी। नगर निगम के वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया, इसकी क्षेत्रीय अधिकारिता से कतिपय क्षेत्रों को अपवर्जित करने के पश्चात्, आरम्भ हो गई है और निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार वार्ड के परिसीमन से सम्बन्धित अधिसूचना तारीख 14-12-2001 को जारी की जानी अपेक्षित थी। क्योंकि 2001 की जनगणना के दौरान अभिलिखित किए गए जनसंख्या के आंकड़े अभी तक प्रकाशित नहीं किए जा सके हैं। इसलिए 1991 की जनगणना के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए परिसीमन किया जाना है। वर्तमान नगर निगम में वार्डों की संख्या 25 है और हाल ही में इससे बाहर निकाले गए क्षेत्रों को अपवर्जित करने के पश्चात् निगम की जनसंख्या 82 हजार होगी। अतः इस बात की भी सम्भावना है कि कुछ ऐसे वार्ड हो सकते हैं जिनकी जनसंख्या 3500 से भी कम हो। यह हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 6 के असंगत होगा। इसलिए ऐसी असंगतता को दूर करने के लिए तुरन्त पग उठाए जाने अनिवार्य और आवश्यक हैं। इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक वार्ड हेतु 3500 की न्यूनतम वर्तमान सीमा के स्थान पर 3000 की न्यूनतम सीमा का उपबन्ध करने हेतु तत्कालिक अध्यादेश जारी करके पूर्वोक्त अधिनियम को संशोधित करना आवश्यक और अनिवार्य था।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) का संशोधित करना अनिवार्य हो गया था, इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन, हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (2001 का अध्यादेश संख्यांक 1) को 11 दिसम्बर, 2001 को प्रख्यापित किया था और उसे तारीख 14 दिसम्बर, 2001 के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया। अब उक्त अध्यादेश को नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक, उक्त अध्यादेश को, किसी उपान्तरण के बिना, प्रतिस्थापित करने के लिए है।

रूप दास कश्यप,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
तारीख............ 2001.

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 23 of 2001.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (SECOND AMENDMENT) BILL, 2001

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (12 *of* 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-second Year of the Republic of India, as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Second Amendment) Act, 2001.

(2) It shall and shall be deemed to have come into force on the 14th day of December, 2001.

Amendment of section 6.

12 of 1994

2. In section 6 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, in clause (*a*), in sub-clause (*ii*), in the proviso, for the figure "3500", the figure "3000" shall be substituted.

Repeal of Ordinance No. 1 of 2001 and savings.

1 of 2001

3. (1) The Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2001 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As per the provisions contained in section 6 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, the population of each ward shall not be less than 3500 for the purposes of elections of Councillors. The process of delimitation of ward for the Municipal Corporation, after excluding certain areas from its territorial jurisdiction, has begun and the notification regarding delimitation of ward was required to be issued on 14-12-2001 as per election programme. Since the population figure ascertained during the 2001 census has not yet been published, the delimitation has to be done after taking the 1991 census figure into account. The number of wards in the present Corporation is 25 and the population of the Corporation, after excluding the areas recently taken out would be 82,000 in the vicinity. It is thus likely that some of the wards may contain a population which may be less than 3500. This would be inconsistent with section 6 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994. Therefore, it was necessary and urgent to take immediate steps to obviate an illegality. For this purpose it was imperative to amend the aforesaid Act by issuing an Ordinance so as to provide for the minimum population of 3000 as against the present minimum population of 3500 for each ward.

Since the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (12 of 1994) had to be amended urgently, the Governor, Himachal Pradesh, promulgated, under clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2001 (Ordinance No. 1 of 2001) on the 14th day of December, 2001 and the same was published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on the 14th day of December, 2001. Now, the said Ordinance is required to be replaced by regular enactment.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance without modification.

ROOP DASS KASHYAP,
Minister-in-Charge.

SHIMLA :
The.....2001.

FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित